


४७/२०२२

कर निवेदन किया कि 'इस वादपत्र में उभय पक्षों द्वारा
के मध्य राजीनामा हो चुका है। वादीगण प्रकरण में
आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं। वादीगण प्रकरण
को राजीनामे से किन्हीं करना चाहते हैं वकील
वादीगण लष्पा वादी सं. १ को सुना गया। वादीगण
प्रकरण में आगामी कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं
वादपत्र विज्ञे करना चाहते हैं ऐसी स्थिति में
वाद पत्र पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रह
जाती है। अतः वकील वादी लष्पा वादी सं. १
द्वारा प्रस्तुत ~~वक्त~~ प्रार्थना पत्र लष्पा मौखिक
निवेदन को स्वीकार कर वाद पत्र पर कार्यवाही
इसी स्तर पर समाप्त की जाती है। प्रावली
कैदाल ~~के~~ सुमार है। नम्बर से कम लेकर
दाखिल दफ्तर है।



उपखण्ड अधिकारी
भिनाथ (अजमेर) राज